क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/11/22	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. है। प्रतिवादी वकील द्वारा दावे का जवाब दावा पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना चाहे जाने पर पक्षकारान वकील की बहस सुनी गई तो दौराने बहस पक्षकारान वकील ने कथन किया कि दावा तकासमें का है जो नियमानुसार तकासमा कर दिया जावें। वकील वादी व प्रतिवादी की बहस पर गौर किया व पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी का अवलोकन किया तो पक्षकारान वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार होने की वजह से नियमानुसार तकासमा किया जाना उचित समझते है। अतः दावा वादी प्रारंभिक डिक्री जारी करके ग्राम फतेहपुरावास वाटिका के वादग्रस्त खसरा नं. 505, 506, 507, 508, 513, किता 5 रकबा 1.45 है. का तकासमा पक्षकारान के मध्य शेयर एवं बकब्जा के आधार पर किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार [illegible] को कमीशनर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को तलब कर दोनों पक्षों की मौजूदगी में तकासमा प्रस्ताव बनाकर पेश करे। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली इन्तजार कुर्रेजात हेतु दिनांक 28/12/22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड [illegible] (जयपुर)
	12/12/22	पत्रावली आज वकील वादी के शीघ्र सुनवाई के प्रा. पत्र पर तलब की गई। वकील वादी व वादी स्वयं उप. है। वकील वादी ने प्रा. पत्र पेश किया कि पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा होने के कारण आगे नहीं चलाना चाहते है व दावा लोक अदालत की भावना से विड्रो करना चाहते है। अतः दावा वादी स्वयं वादी व वादी वकील के विड्रो प्रा. पत्र पेश होने पर प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर दावा विड्रो (खारिज) किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड [illegible] (जयपुर)

नन्दू मीणा